

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 67 / 2024

दायर दिनांक : 30 / 12 / 2024

निर्णय दिनांक : 15 / 01 / 2025

**उनवान**

1. गब्बा पिता लक्ष्मण बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
2. हेमा पुत्र लक्ष्मण बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. किशन पिता परथा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
2. मन्ना पिता परथा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
3. मांगु पिता हजारी बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
4. शंभु पिता गिरधारी कलाल निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम बालदियों का खेडा प0 ह0 पारी तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी के खाता सं0 204 के हाल आराजी न0 503 रकबा 0.55 है0 आराजी न0 504 रकबा 0.80 है0 आराजी न0 505 रकबा 0.46 है0 आराजी न0 506 रकबा 0.84 है0 आराजी न0 507 रकबा 0.40 है0 आराजी न0 829 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक **15 / 01 / 2025** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

